

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 1.980 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.960 है० भूमि ग्राम पोलिंग की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजार कादिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसकी खसरा-खतौनी सलग्न है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अभिजाति अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
अधिशुभ्रणी भूमियता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट